

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,

सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,

उ०प्र० शासन।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी

लखनऊ : दिनांक २०। जून 2015

उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

विषय:- जनपद-रामपुर में राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हेतु ग्राम इंगरपुर, तहसील-सदर, जनपद-रामपुर स्थित गाटा संख्या-138/1/2, गाटा संख्या-147, 148, 150, 138/2/2, 641, 633/1 में स्थित भूमि कुल क्षेत्रफल 6.588 हेक्टेअर भूमि नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग को निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रदेश में नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के अन्तर्गत क्षमता विकास एवं प्रशिक्षण सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु जनपद-रामपुर में राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना किये जाने के लिए शासनादेश संख्या-34/69-1-2013-14(31)2012 टीसी (ए) दिनांक 16.01.2013 द्वारा आवश्यक निर्देश निर्गत किए गए हैं। उक्त प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना का मुख्य उद्देश्य नगर निकायों के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों/कर्मियों तथा पैरारस्टेल एजेंसियों के अधिकारियों/कर्मियों हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद-रामपुर में राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हेतु ग्राम इंगरपुर, तहसील-सदर, जनपद-रामपुर में उद्यान विभाग के स्वामित्व में स्थित गाटा संख्या-138/1/2, गाटा संख्या-147, 148, 150, 138/2/2, 641, 633/1 कुल क्षेत्रफल 6.588 हेक्टेअर भूमि वित्त विभाग के कार्यालय-जाप संख्या-ए-2-75/दस-77-14(4)/74 दिनांक 03.02.1977 में निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग को निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3. कृपया उक्त भूमि का कब्जा नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग के पक्ष में तत्काल हस्तान्तरित करने की कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)

सचिव।

संख्या-१११/2015/1645(1)/69-1-2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, वित्त/नियोजन/न्याय/राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम एवं द्वितीय उ०प्र०, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
3. निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. आयुक्त, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद।
5. जिलाधिकारी, रामपुर को इस आशय से कि भूमि का कब्जा तत्काल प्राप्त कर संस्थान के भवन निर्माण का प्राक्कलन एक सप्ताह में शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
6. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
7. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक।

आज्ञा से,

(एच०पी० सिंह)

विशेष सचिव।